न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

नियमित जमानत आवेदन संख्या–403 / 2026
मोकामा थाना कांड संख्या–276 / 2022
अंतर्गत धारा–341, 323, 307, 34 भा0द0वि0

30.07.2026 काराधीन अभियुक्त–बविछन बिंद उर्फ बविचन कुमार की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–483 के अंतर्गत दिनांक–01.07.2026 को नियमित जमानत याचिका दाखिल किया गया जोकि, भा0द0वि0 की धारा–341, 323, 307, 34 से संबंधित मोकामा थाना कांड संख्या–276 / 2022, दिनांक–11.09.2022, के नामजद अभियुक्त हैं तथा इस मामले में नियमित जमानत याचिका दाखिल किया गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। याचिकाकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत याचिका को प्रचालित करते हैं हुए कहते हैं कि, आवेदक की ओर से पूर्व में सत्र न्यायालय या मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अग्रिम जमानत याचिका या नियमित जमानत याचिका दायर नहीं की गई है। आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक–13.05.2026 से काराधीन हैं, इनका जमानत आवेदन दिनांक–24.06.2026 को विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी–तृतीय, बाढ़ के द्वारा खारिज किया गया है। आगे इनका कथन है कि, प्रस्तुत कांड में आवेदक निर्दोष हैं तथा इन्हें इस केस में गलत रुप से झूठा फंसाया गया है। जैसा कहा गया है, वैसी कोई घटना नहीं घटित हुई है। अभियोजन कथानक गलत एवं मनगढ़ंत हैं। आवेदक के विरूद्ध धारा–307 भा0द0वि0 के अंतर्गत मामला नहीं बनता है। अन्य अभियुक्तों को इस वाद में जमानत का लाभ दिया जा चुका है, इनका भी जमानत का समान आधार बनता है, इनके विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं हैं, इस वाद में आवेदक के फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्त न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों को मानने एवं बंधपत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः प्रार्थना करते हैं कि आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

उभयपक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित् होता है कि, सूचक–गौरी बिंद उर्फ गोरे लाल के लिखित आवेदन पर विभीछण बिंद, अर्जून बिंद, भूषण बिंद, सुनील बिंद, भूल्लू बिंद उर्फ कुड़ा बिंद एवं सुजीत कुमार के विरूद्ध मार–पीट करने का आरोप लगाया गया है, जिससे कि वादी का सिर फट जाने एवं हड्डी टूट जाने की बात कही गई है, इस वाद में सूचक का कहना है कि, सभी लोग मिलकर उसे रेलवे लाईन के गाछी में ले गए और लोहे के रड एवं कूचे से मार–पीट कर कई वार किए।

कांड दैनिकी एवं विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि, कहीं भी जख्म की प्रकृति नहीं बताई गई है। आवेदक के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। अन्य अभियुक्तों को इस न्यायालय से नियमित जमानत आवेदन संख्या–626 / 2025, दिनांक–14.11.2025 को जमानत का लाभ दिया गया है, इन पर भी समान आरोप हैं। आवेदक दिनांक–13.05.2026 से काराधीन हैं।

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

नियमित जमानत आवेदन संख्या–403 / 2026
मोकामा थाना कांड संख्या–276 / 2022
अंतर्गत धारा–341, 323, 307, 34 भा0द0वि0

लगातार

30.07.2026

ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों और कारा में बिताई गई अवधि तथा इनका भी समान आरोप को देखते हुए आवेदक अभियुक्त–बविछन बिंद उर्फ बविचन कुमार को नियमित जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। मो0 10,000 (दस हजार) रुपये के समतुल्य राशि के दो प्रतिभूओं वाले बंधपत्र दाखिल करने के उपरांत याचिकाकर्ता को जमानत पर **मुक्त** करने का आदेश शर्त के साथ दिया जाता है कि, वे विचारण में उचित पैरवी करेंगे तथा वाद के निष्पादन में सहयोग करेंगे।

लेखापित / शुद्धित

Sd/-

(विवेक भारद्वाज)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़